निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
253/2022	13.4.2022	15-09-2022

रामजीलाल पुत्र चिरमोली आयु 66 साल जाति जाटव निवासी मोहचा का पुरा, तहसील वजीरपुर —सायल

बनाम

1. मोहरसिंह मीना पुत्र रामजीलाल
2. हरसहाय पुत्र रामजीलाल
3. मनीष मीना पुत्र सुल्ली
4. प्रकाश मीना पुत्र रूग्गी
5. रूगनाथ पुत्र चिरंजी
6. हरकेश पुत्र रूग्गी
7. रामहरि पुत्र रूग्गी
8. राजेश पुत्र रूग्गी

जातियान मीना निवासीगण मोहचा तहसील वजीरपुर। —गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा एडवोकेट सायल की और से
श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट गैर सायलान की और से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि सायल की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 500 रकबा 1.16 है0 ग्राम मोहचा तहसील वजीरपुर में स्थित है जिसमें गैर सायलान व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सायल आज से करीब 5 वर्ष पूर्व मजदूरी करने दिल्ली चला गया था। यह कि सायल दिनांक 27.03.2022 को दिल्ली से वापस अपने गांव लौटा तथा अपने खेत की सार संभाल करने गया तो देखा कि सायल की उक्त भूमि के कुछ भाग पर गैर सायलान संख्या 1 ता 5 ने निर्माण कार्य कर लिया है तथा शेष भूमि को जबरन काश्त करने लग गये हैं। सायल ने गैर सायलान से उसकी कृषि भूमि से कब्जा हटाने के लिए कहा तो गैर सायलान संख्या 1 ता 5 ने जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए कहा कि भाग जा नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। जमीन को तुझे काश्त नहीं करने देंगे और जमीन से कब्जा नहीं हटाने देंगे। गैर सायलान संख्या 1 ता 5 अपने साथ गैर सायलान संख्या 6 ता 8 को लेकर आये और सायल को दिनांक 10.04.2022 को ऐलानिया धमकी दी कि अब हम गैर सायलान संख्या 6 ता 8 का सहयोग प्राप्त कर सायल

उप जिला कलेक्टर

की संपूर्ण भूमि में पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर देंगे और दीगर व्यक्तियों को रहन वय करेंगे। गैर सायलान झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जो कानून को नहीं मानते हैं क्योंकि ग्राम खोंचा मीना बाहुल्य क्षेत्र है जो आये दिन अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को हड़पकर उन्हें उनकी जमीन के कब्जे काश्त से महरूम रखना चाहते हैं। यदि गैर सायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से भी संभव नहीं है। अतः गैर सायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे सायल की भूमि खरारा नंबर 500 रकबा 1.16 है0 ग्राम मोहचा तहसील वजीरपुर के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें, न ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि की मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें व सायल की भूमि पर जबरन कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज फोटोप्रति नकल जमाबंदी हाल संवत् 2076 से 2079 पेश की है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 05.5.22 को गैर सायलान 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 की और से श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया तथा जवाब को समय चाहा । दिनांक 28.7.2022 को गैरसायलान संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 की और से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ तथा गैर सायल संख्या 5 ने जवाब को समय चाहा दिनांक 18.8.2022 को गैरसायल संख्या 5 का जवाब बन्द किया गया। गैरसायल संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि यह सही है कि भूमि खसरा नंबर 500 रकबा 1.16 है0 ग्राम मोहचा तहसील वजीरपुर में स्थित है। सायल द्वारा कहे गये तथ्य गलत अंकित है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि ग्राम मोहचा में स्थित है जबकि सायल ग्राम मोहचा का पुरा का रहने वाला है। विवादित भूमि पर लगभग 75–80 वर्षों से लगातार गैर सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है चूंकि उक्त भूमि पूर्व में सिवायचक भूमि थी जिस पर जवाबदारान बुजुर्ग काबिज रहकर भूमि से लांभावित होते रहे तथा वर्तमान में जवाबदारान लाभांवित होते आ रहे हैं। विवादित भूमि कब व कैसे सायल के नाम दर्ज हुइ इसकी जवाबदारान को कोई जानकारी नहीं है, न ही सायल द्वारा कभी जवाबदारान के कब्जे पर आपत्ति दर्ज की गई। जब सायल स्वयं उक्त भूमि पर जवाबदारान द्वारा कब्जा करना प्रार्थना पत्र में अंकित कर रहा है तो इससे स्पष्ट है कि सायल का भूमि पर मौके पर कब्जा ही नहीं है तथा कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि सायल द्वारा इसी भूमि के बाबत् एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार जी वजीरपुर के यहां पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमें सायल द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी पेश कर दिया है

उप निरीक्षक

जिसमें उसने कब्जे वापस दिलाने की रिलीफ चाही है जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर सायल का कब्जा नहीं है। सायल का कथन उसके द्वारा तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट में वर्णित कथनों से स्पष्ट है कि उक्त मद में वर्णित कथन झूंठे व मनगढंत है क्योंकि एक ओर सायल दिनांक 27.03.2022 को जवाबदारान का कब्जा बता रहा है दूसरी ओर श्रीमान् के समक्ष दिनांक 10.04.2022 को कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दे रहे हैं जो विरोधाभासी तथ्य है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि 75–80 वर्षों से जवाबदारान के कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र सायल विरूद्ध गैर सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान द्वारा दस्तावेज उनवानी रामजीलाल बनाम मोहरसिहं नकल प्रार्थना पत्र 183 (बी) आर.टी.एक्ट व फोटोप्रति नकल आर्डरशीट प्रार्थना पत्र183 (बी) आर.टी.एक्ट पेश किये हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया है तथा कहा कि भूमि की खातेदारी सायल के नाम दर्ज है गैरसायलान का भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। गैर सायलान जबरन भूमि पर ताकत के बल पर निर्माण करने पर आमादा है तथा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्राईमाफेसी सायल का मुकदमा साबित है,सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है तथा क्षति भी सायल को होगी इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायल के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें कोई निर्माण नही करें।

वकील गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि सायल के नाम दर्ज है परन्तु दावा व प्रार्थना पत्र पेश करते समय सायल को भूमि पर कब्जा नही था जो सायल द्वारा न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर में किये गये 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र व उसकी आर्डरशीट की प्रमाणित प्रति से साबित है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नही चल सकता क्योंकि सायल द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है तथा उसके साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। सायल का केस किसी भी रूप से प्राईमाफेसी साबित नही है बल्कि गैरसायलान का मौके पर लम्बे समय से कब्जा है जिसे अवैधानिक रूप से नही हटाया जा सकता अर्थात प्राईमाफेसी केस गैरसायलान के पक्ष में है तथा यदि अवैधानिक रूप से गैरसायलान मौके से बेदखल किया गया तो क्षतिपूर्ति भी गैरसायलान को होगी।

वकील गैरसायलान ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2016(1) पेज 419 पेश किया है जिसमे अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होने तथा सायल का कब्जा न होने के आधार पर टी.आई प्रार्थना पत्र खारिज करना

उप जिला कलेक्टर

बताया है, आर.आर.टी.2021(1) पेज 260, आर.आर.टी.2013(1) 85, डी.एन.जे. (रेवन्यु)196,1963 आर.आर.डी.504 पेश किये है तथा कहा कि उक्त सभी में सायल का कब्जा न होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किय गये हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र टी.आई खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि की खातेदारी सायल के नाम दर्ज है तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र 183 (वी) आर.टी.एक्ट व ऑर्डरशीट न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर से स्पष्ट हे कि सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है तथा गैरसायलान को बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2016(1) पेज 419 गैरसायलान के तथ्यों की पुष्टि करती है तथा आर.आर.टी.2021(1) पेज 260, आर.आर.टी.2013(1) 85, डी.एन.जे.(रेवन्यु)196,1963 आर.आर.डी.504 का सम्बंध दावे से है टी.आई प्रार्थना पत्र से नही है। हमारी राय में विवादित भूमि पर पक्षकारान में विवाद है तथा भूमि पर कब्जे का तथ्य दावे मे साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होना है एसी स्थिति में भूमि की वर्तमान की स्थिति को सुरक्षित रखना उचित है जिससे पक्षकारान में अनावश्यक विवाद की स्थिति मौके पर न हो इसलिए दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नं0 500 रकवा 1.16 हैक्टर ग्राम मौहचा तहसील वजीरपुर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 15/9/2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर